

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-233/2021
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
श्री भजन राम—विक्रेता
प्रति
श्रीमती चिन्ता देवी—क्रेता
आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता श्री भजन राम, पिता-स्व० सरदार राम, ग्राम-झलुआ, पोस्ट-कल्याणपुर, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती चिन्ता देवी, पति-श्री धर्मदेव राम, ग्राम-तेनार, पोस्ट-लातदाग, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक 289/दिनांक 07.09.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, गढ़वा का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।


प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के बाबा रामदेवी चमार के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के चमार (अनुसूचित जाति) एवं क्रेता जाति के चमार (अनुसूचित जाति) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।


अतः उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता श्री भजन राम, पिता-स्व० सरदार राम, ग्राम-झलुआ, पोस्ट-कल्याणपुर, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्रीमती चिन्ता देवी, पति-श्री धर्मदेव राम, ग्राम-तेनार, पोस्ट-लातदाग, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:-

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
छत्तरपुर	232	72	128	$0.06\frac{7}{10}$	उ०-पक्की सड़क, द०-असमुद्दीन अंसारी, पू०-मीना कुंवर, पति स्व० अमृत राम, प०-मानदेव राम,
			130	$0.00\frac{1}{2}$	
कुल रकबा:-				$0.07\frac{1}{5}$	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।
लेखापित एवं संशोधित।


अपर समाहर्ता,
गढ़वा


अपर समाहर्ता,
गढ़वा